जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
182/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सूचना अधिकार संख्या 182/2016 अनवानी श्री राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री भगवानदास गोयल जाति अग्रवाल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी व उपखण्ड अधिकारी(एसडीएम), श्रीगंगानगर

06–02–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 30.10.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से चाही गई सूचनांए उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे एवं लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे एवं उन पर 25000 रूपये का जुर्माना लगाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने अपने सूचना के अधिकार अधिनियम के आवेदन पत्र दिनांक 30.10.2016 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. प्रार्थी का पत्रांक 5126 दिनांक 3.08.15 आपके कार्यालय में पहुचने की तारीख व आरआर नम्बर की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. पत्र पर कार्यवाही करने वाले कर्मकार का नाम व पद की सूचना व प्रमाणित प्रतिलिपि।
3. पत्र प्राप्ति से इस पत्र का जवाब देने तक जो जो कार्यवाही की गयी है उसकी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
4. आपका पत्रांक 666 दिनांक 28.05.15 जो प्रार्थी को दिनांक 11.06.15 को प्राप्त हुआ है जिसे सम्बधित कर्मकार द्वारा 15 दिन अपने पास रोके रखा अतः उसके द्वारा पद का दुरूपयोग, लापरवाही, असावधानी के कारण कर्मकार के विरूद्व कार्यवाही करने वाबत व कार्यवाही जिस नियम के अधीन नही की गयी है, इस बाबत सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. उक्त पत्र मे आयुक्त नगर परिषद के दोषी अधिकारियों के विरूद्व जांच कर कार्यवाही करने बावत सूचना व कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि।
7. दोषी अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही न करने सम्बन्धी सूचना व नियम की प्रमाणित प्रतिलिपि।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर सहायक लोक सूचना अधिकारी एव उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने जबाब सं0 1954 दि0 19.12.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उनके कार्यालय के पत्र सं0 1836 दिनांक 15.11.2016 से लिखा गया है कि आप द्वारा पत्र सं0 5126 दिनांक 03.08.2015 जिसके संबंध में आप द्वारा सूचना चाही गई है किस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है, अंकित नही किया है और नही उक्त पत्र दि0 03.08.15 की प्रति प्रस्तुत की है और जिस पत्र सं0 666 दिनांक 28.05.15 का हवाला दिया गया है वह उनके कार्यालय से जारी नही हुआ है उक्त दोनो पत्रो की प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए लिखा गयाा था जो अपीलार्थी द्वारा उपलब्ध नही करवाई है। इसलिए अपील खारिज की जावे।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

182/2016
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर ने अपने पत्र सं0 1836 दिनांक 15.11.16 से अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

> उपरोक्त विषयान्तर्गत आप द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कमांक 6325 दिनांक 30.10.2016 के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित आपका पत्रांक 5126 दिनांक 03.08.2015, जिसके संबंध में सूचना चाही गई है, आप द्वारा किस कार्यालय में पेश किया गया है, अंकित नही किया गया है न ही आप द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 03.08.15 की चित्र प्रति सलंग्न प्रस्तुत की है साथ ही आपने प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2016 में इस कार्यालय के जिस पत्र कमांक 666 दिनांक 28.05.2015 का हवाला दिया है वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से जारी नही है। कृपया उक्त दोनो पत्रो की चित्रित प्रतियां प्रस्तुत करें ताकि वांछित सूचना उपलब्ध कराई जा सके।

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए कोई निश्चित सूचना व स्पष्ट सूचना नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उतर दिनांक 15.11.2016 सही है। फिर भी** सूचना अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को आदेश दिया जाता है कि वे अपने कार्यालय में **उपलब्ध अभिलेख के निरीक्षण हेतू आदेश प्राप्ति से 15 दिवस की तिथी नियत कर अपीलार्थी को सूचित करे** और उस नियत तिथि पर अपीलार्थी को अभिलेख का निरीक्षण करवाया जावे और अपीलार्थी उपलब्ध अभिलेख में से जो भी सूचना लेना चाहे वह उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

23-7-17

आदेश आज दिनांक 06.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर